

फ्रेंचाइजी प्रशिक्षण केंद्र को प्रशिक्षण साझेदार को बदलने के लिए सुविधा शिविर

फ्रेंचाइज़ प्रशिक्षण केन्द्र को प्रशिक्षण साझेदार में बदलने की प्रक्रिया

1. फ्रेंचाइज़ प्रशिक्षण केन्द्र को प्रशिक्षण साझेदार में बदलने के लिए
 - i. <http://smart.nsdcindia.org> पर जाएं।
 - ii. अपनी मौजूदा पहचान (आईडी) के साथ लॉग इन करें।
 - iii. प्रक्रिया की शर्तों को स्वीकार करें।
 - iv. प्रशिक्षण साझेदार के लिए उपलब्ध निवेदन पत्र भरें। ऐसा करते समय ध्यान रहे कि प्रशिक्षण साझेदार का नाम वही भरा गया हो जो कि मौजूदा फ्रेंचाइज़ प्रशिक्षण केन्द्र का नाम है।
2. फ्रेंचाइज़ प्रशिक्षण केन्द्र को स्वामित्ववाले प्रशिक्षण केन्द्र में सफलतापूर्वक बदले जाने के बाद ही निगम की तरफ से कोई भुगतान किया जाएगा।
3. स्मार्ट पोर्टल पर प्रशिक्षण साझेदार की नई पहचान (आईडी (बनाई जाएगी, जिसका उपयोग करते हुए साझेदार एसडीएमएस पर अपना परिचय प्रोफाइल (तैयार कर सकेंगे)। इसके बाद ही इसमें प्रशिक्षण केन्द्र को जोड़ा जा सकेगा।
4. उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर प्रशिक्षण साझेदार या केन्द्र का मूल्यांकन किया जाएगा।
5. इस मूल्यांकन में खरा उतरने पर किसी तीसरे पक्ष द्वारा मौके पर जाकर केन्द्र का निरीक्षण किया जाएगा।
 - i. निरीक्षण पर आने वाली लागत राष्ट्रीय कौशल विकास निगम वहन करेगा।
 - ii. निरीक्षण की तारीख बदली नहीं जाएगी।
 - iii. इस बारे में कोई सुनवाई नहीं होगी।
6. नीचे उल्लिखित दस्तावेज उपलब्ध (अपलोड) कराएं।

जमा कराए जानेवाले दस्तावेज की सूची

जमा कराए जानेवाले दस्तावेज की सूची

उपक्रम का प्रकार	आवश्यक दस्तावेज			वांछित	
कंपनी	केन्द्र के नाम से खोले गए बैंक खाते का ब्यौरा	केन्द्र के नाम से जारी पैन कार्ड	निगमन प्रमाणपत्र / सीआईएन संख्या	व्यापार / सेवाओं के संचालन के लिए किसी सक्षम प्राधिकारी के साथ पंजीकरण	
साझा उपक्रम	केन्द्र के नाम से खोले गए बैंक खाते का ब्यौरा	केन्द्र के नाम से जारी पैन कार्ड	साझेदारी विलेख / समझौते	व्यापार / सेवाओं के संचालन के लिए किसी सक्षम प्राधिकारी के साथ पंजीकरण	
संस्था	केन्द्र के नाम से खोले गए बैंक खाते का ब्यौरा	केन्द्र के नाम से जारी	संस्था का निबंधन प्रमाण-पत्र/ अधिनियम	व्यापार / सेवाओं के संचालन के लिए किसी सक्षम	

		पैन कार्ड		प्राधिकारी के साथ पंजीकरण	
न्यास (ट्रस्ट)	केन्द्र के नाम से खोले गए बैंक खाते का ब्यौरा	केन्द्र के नाम से जारी पैन कार्ड	न्यास विलेख	व्यापार / सेवाओं के संचालन के लिए किसी सक्षम प्राधिकारी के साथ पंजीकरण	
सीमित दायित्व वाला साझा उपक्रम	केन्द्र के नाम से खोले गए बैंक खाते का ब्यौरा	केन्द्र के नाम से जारी पैन कार्ड	निबंधन प्रमाण पत्र	व्यापार / सेवाओं के संचालन के लिए किसी सक्षम प्राधिकारी के साथ पंजीकरण	
स्वामित्व उपक्रम	केन्द्र के नाम से खोले गए बैंक खाते का ब्यौरा	केन्द्र/ केन्द्र के मालिक के नाम से जारी पैन कार्ड	केन्द्र के मालिक का आधार कार्ड*	व्यापार / सेवाओं के संचालन के लिए किसी सक्षम प्राधिकारी के साथ पंजीकरण	आयकर रिटर्न का प्रमाण
सरकारी उपक्रम	केन्द्र के नाम से खोले गए बैंक खाते का ब्यौरा			कोई अन्य सरकारी दस्तावेज	

* उन प्रांतों में इसे जमा करने की जरूरत नहीं है, जहां यह आवश्यक नहीं है

8 सितम्बर 2017 को प्रशिक्षण साझेदारों के साथ बैठक में अनेक साझेदारों ने फेंचाइज़ प्रशिक्षण केन्द्रों को साझेदारों के स्वामित्व वाले केन्द्रों में बदलने का आग्रह किया था। इसे स्वीकार करते हुए मौजूदा प्रशिक्षण केन्द्रों को यह विकल्प देने का निर्णय लिया गया है।

फ्रेंचाइज़ प्रशिक्षण केन्द्र को प्रशिक्षण साझेदार में बदलने के लिए मौके पर निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित दस्तावेजों की जांच की जाएगी

1. प्रशिक्षण केन्द्र परिसर के लिए मकान भाड़ा समझौता अथवा राजस्व साझा समझौता अथवा (सरकारी भवन के मामले में) संबद्ध अधिकार से स्वीकृति या आबंटन पत्र अथवा बिजली बिल अथवा कर संबंधी बिल अथवा प्रशिक्षण साझेदार के नाम से सम्पत्ति का निबंधन पत्र
2. केन्द्र में स्थापित औजार एवं फर्निचर आदि अगर भाड़े पर लिए गए हों तो उनका समझौता या लीज़ पत्र तथा उनके उपयोग को लेकर अनापत्ति प्रमाण-पत्र और अगर उनपर प्रशिक्षण साझेदार का स्वामित्व है तो उनकी खरीद को स्थापित करने के लिए संबद्ध बिल आदि
3. केन्द्र में नियुक्त कर्मियों के नियोजन संबंधी प्रमाण, यथा नियुक्ति पत्र, कर्मी द्वारा स्वीकृत आशय पत्र, पूर्णकालिक अथवा अपूर्णकालिक कर्मियों का अनुबंध पत्र आदि

4. फेंचाइज़ प्रशिक्षण केन्द्र को प्रशिक्षण साझेदार के स्वामित्ववाले केन्द्र में बदलने को लेकर मौजूदा फेंचाइज़ प्रशिक्षण केन्द्र की वैधानिक घोषणा, जो सौ रुपये के स्टाम्प पेपर पर तैयार किया गया हो तथा नोटरी द्वारा सत्यापित हो